

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1085 / एफ-1-14 / 31 / एस-2 / 2021,

अटल नगर, दिनांक 28/02/2022

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखंड-धमधा की आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर आर.डी. 9.90 कि.मी. से 24.75 कि.मी. तक तथा माईनर नहरों का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-245/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2020/19031, नवा रायपुर, दिनांक 31.12.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड-धमधा की आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर आर.डी. 9.90 कि.मी. से 24.75 कि.मी. तक तथा माईनर नहरों का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 1814.12 लाख (रुपये अठारह करोड़ चौदह लाख बारह हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति नाबार्ड से स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ करने की शर्त पर प्रदान करता करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत 1741 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (9469)-नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-1236/सी.एन.-31-00105/बजट-2/वित्त/चार/2022 दिनांक 23.02.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. सर्वेक्षण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे। संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता सर्वेक्षण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1086 / एफ-1-14 / 31 / एस-2 / 2021,

अटल नगर, दिनांक 28 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, जिला-दुर्ग।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग